loans are provided, which can be utilised by the State Electricity Boards and Power Utilities for hiring consultants to advise them in activities related to preparation of proposals, bid preparation, evaluation and selection of Independent Power Producers, negotiating Power Purchase Agreements, Fuel Supply and other associated agreements.

Prasar Bharati Act

*15. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prasar Bharati Act has lost its relevance with the emergence of Satellite TV and its influence on Doordarshan; and

(b) if so, the details thereof and what are Government's plans regarding the Act?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b) No, Sir. However, certain changes, inter-alia, in the proposed organisational structure of the Corporation, are warranted in the light of the rapidly changing broadcasting scenerio because of the increased international satellite broadcasting in this part of the world. The details in this regard are being finalised.

सूती धागे की कीमतों में वृद्धि

*15. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा उद्योग में विशेष रूप से प्रयोग में आने वाले 40 काऊंट तक के सूती धागे की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1992, 1993 और नवम्बर, 1994 के दौरान 10, 20, 30 और 40 काऊंट के सूती धागे की कीमतें क्या-क्या थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सूती धागे की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये अनेक कदम उठाये थे;

(घ) यदि हां, तो इन कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या हथकरघा बुनकरों को इन कदमों से प्रत्यक्ष लाभ हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटें स्वामी) : (क) अक्तूबर, 1994 के दौरान 40 काऊंट तक के सूती हैंक यार्न के मूल्यों में वृद्धि हुई । तथापि मई, 1994 स इनके मूल्यों में गिरावट आई और मई से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान इनके मूल्य स्थिर रहे । कच्ची कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण नवम्बर, 1994 से सूती हैंक यार्न के मूल्यों में पुन: वृद्धि आरंभ हो गई ।

(ख) नवम्बर, 1992, 1993 व नवम्बर, 1994 के दौरान 10, 20, 30 और 40 काऊंट तक के सुती धागे के मूल्य इस प्रकार थे:—

काऊंट	नवम्बर, 92	नवम्बर, 93	नवम्बर, 94
10 एस	36.21	38.37	66.33
20 एस	53.90	55.25	81.36
30 एस	61.03	61.38	87.56
40 एस	67.65	68.95	97.34

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को राहत देने के संबंध में किये गये उपायों का विवरण इस प्रकार है:—

1. हैंक यार्न बाध्यता योजना में यह आवश्यक है कि सूत उत्पादक को अपने विक्रय सूत का कम से कम 50 प्रतिशत तक हैंक के रूप में पैक करना होगा और ऐसे पैक किये गये सूत का कम से कम 80 प्रतिशत 40 और उससे कम काऊंट का धागा होना चाहिये। भारत सरकार ने 14 जुलाई, 1994 को एक अनुबंध और लगा दिया जिससे निर्यातक अपना सूत तब ही निर्यात कर पायेंगे जब वे वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित हैंक यार्न बाध्यता योजना की सभी शर्तें पूरी करते हों।

2. अप्रैल, 1994 में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देने के साथ 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति के लिये हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना आरंभ की गई।

3. भारतीय कपास मिल संघ के साथ 10 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न जनवरी, 1994 में प्रचलित मूल्यों से 8 रुपये प्रति किलोग्राम (औसत भार में) कम करके सप्लाई करने की व्यवस्था भी की गई है।

4. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उचित मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, ने भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के स्तर में वृद्धि की है।

5. हैंक यार्न के मूल्यों और साथ ही इसकी उपलब्धता की स्थिति की निरन्तर देख-रेख करने के लिये वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में हैंक यार्न मूल्य देख-रेख समिति भी कार्य कर रही है। हथकरघा बुनकरों के लिये राज्य सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा उत्पादित सूत के मूल्यों में विनियमन रखने हेतु भारत सरकार के अनुरोध पर कई राज्यों में मूल्य निर्धारण समितियां गठित की गई हैं।

6. हथकरघा क्षेत्र मूल्य ह्रास दूर करने और हथकरघों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले निवेश के लिये कई वित्तीय रियायतें दी हैं जिसमें पंजीकृत हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों से खरीद करने पर सूती प्लेन रील हैंक यार्न, पटसन, ऊनी, कृत्रिम, स्टैपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क में पूर्ण छूट और क्रोस रील हैंक यार्न, पालिस्टर मिश्रित यार्न, विसकोस और प्रोपीलीन पर उत्पाद शुल्क में रियायत देना शामिल है।

सुसमन कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर रियायती दर पर शुल्क देने के अतिरिक्त राज्य हथकरघा अभिकरणों द्वारा स्थापित प्रोसेस गृहों द्वारा सूती, ऊनी, पोलिस्टर वस्त्रों के प्रोसेस किये जाने पर प्रोसेस शुल्क में पूर्ण छूट तथा पंजीकृत हथकरघा अभिकरण द्वारा भारत में कच्ची ऊन आयात करने पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है। इससे मूल्य ह्रास कम करने में भी सहयोग मिलता है।

7. कपास की उपलब्धता को और सुलभ करने के लिये रियायती शुल्क पर 30 हजार मैट्रिक टन विसकोस स्टैपल फाइबर आयात करने के लिये कदम उठाये गये।

8. ओ०पी०एल० के अन्तर्गत शुल्क मुक्त सूती धागे का आयात।

Pilot Telecom licence to US firms

*17. SHRIMATI SARALA MAHESHWARI:

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to award a pilot telecom licence to a US firm despite its earlier